



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 14 जनवरी, 2026

पौष 24, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 06 / 79-वि-1-2026-2-क-1-2026

लखनऊ, 14 जनवरी, 2026

अधिसूचना
विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2026) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2026)

[भारत गणराज्य के छिह्नतर्वें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद—213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1— यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या—
29 सन् 1974 द्वारा
यथासंशोधित और
पुनः अधिनियमित
राष्ट्रपति अधिनियम
संख्या 10,
सन् 1973 की
धारा 4 का संशोधन

धारा 50 का
संशोधन

धारा 52 का
संशोधन

अनुसूची का संशोधन

2— उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (जिसे आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 4 में, उपधारा (1—क) में, खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(ण) एक विश्वविद्यालय जिसे काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही के रूप में जाना जायेगा;”

3—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1—ट) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

“(1—ठ) जब तक कि इस धारा के अधीन काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय तब तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की परिनियमावली जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।”

4—मूल अधिनियम की धारा 52 में उपधारा (2—ञ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

“(2—ट) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही का प्रथम अध्यादेश न बना लिया जाय, तब तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी का अध्यादेश, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त था, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।”

5— मूल अधिनियम की अनुसूची में—

(क) क्रम संख्या—19 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

“19— माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर

(एक) काशी नरेश विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही
भदोही की स्थापना होने तक (संत रविदास नगर) जिले

(दो) काशी नरेश विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले“
भदोही की स्थापना हो जाने पर

(ख) क्रम संख्या 20 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:—

“21— काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही (संत रविदास नगर) जिला“
भदोही

6—(1) राज्य सरकार, काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी अवधि में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल,

उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

जे० पी० सिंह-II,

प्रमुख सचिव।

No. 06(2)/LXXIX-V-1—2026-2-ka-1-2026

Dated Lucknow, January 14, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhyadesha, 2026 (Uttar Pradesh Adhyadesha Sankhya 1 of 2026) promulgated by the Governor. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2026

(U.P. ORDINANCE NO. 1 OF 2026)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-sixth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

Further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Universities Short title (Amendment) Ordinance, 2026.

Amendment of
Section 4 of
President's Act
no. 10 of 1973 as
amended and
re-enacted by U.P.
Act no. 29 of 1974

Amendment
of Section 50

Amendment
of Section 52

Amendment
of Schedule

Power to remove
difficulties

2. In Section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1-A), *after* clause (n), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(o) a University to be known as Kashi Naresh University, Bhadohi;".

3. In Section 50 of the principal Act, *after* sub-section (1-K), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-L) Until the First Statutes of Kashi Naresh University, Bhadohi are made under this Section, the Statutes of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.".

4. In Section 52 of the principal Act, *after* sub-section (2-J), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2-K) Until the First Ordinances of Kashi Naresh University, Bhadohi are made under sub-section (2), the Ordinances of the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.".

5. In the Schedule to the principal Act,—

(a) *for* the entries appearing at serial no. 19, the following entries shall be *substituted*, namely :—

"19 . Maa Vindhya vasini University, Mirzapur –

(i) Until the establishment Districts of Mirzapur,
of Kashi Naresh University, Sonbhadra, Bhadohi (Sant
Bhadohi. Ravidas Nagar).

(ii) Upon the establishment Districts of Mirzapur,
of Kashi Naresh University, Sonbhadra".
Bhadohi.

(b) *after* serial no. 20, the following serial number and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely:—

"21. Kashi Naresh Bhadohi (Sant Ravidas Nagar)
University, Bhadohi.
District".

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of Kashi Naresh University, Bhadohi, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature , as soon as may be, after it is made.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०य०पी०-ए०पी० 343 राजपत्र-2026-(1028)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।
पी०एस०य०पी०-ए०पी० 148 सा० विधायी-2026-(1029)-300 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।